चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION AND TRAINING, UP, LUCKNOW

नीट यू0जी0(यू0पी0)–2019 की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

- नीट यू0जी0 2019 में सभी अर्ह (Neet Qualified) अभ्यर्थी का ऑनलाईन पंजीकरण दिनांक 21.06.2019 से दिनांक 24.06.2019 के मध्य वेब–साईट **https://upneet.gov.in** पर कराया जाना प्रस्तावित है।
- अर्ह अभ्यर्थी एन0आई0सी0 की वेबसाइट https://upneet.gov.in पर आन लाईन रू0 2000/– का पंजीकरण शुल्क जमा कर काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क आन लाईन डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते है।
- अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता नीट यू0जी0–2019 हेतु एन0टी0ए0 (National Testing Agency) द्वारा जारी ब्रोशर के अनुसार होगी।
- दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों की सूची निम्नवत् है:–
  1. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज एण्ड सफदरजंग हास्पिटल, अंसारी नगर, नई दिल्ली।
  2. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन, मुम्बई।
  3. इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता।
  4. मद्रास मेडिकल कालेज, चैन्नई।
  5. ग्रान्ट राजकीय मेडिकल कालेज, जे0जे0कम्पाउण्ड मुम्बई।
  6. गोवा मेडिकल कालेज, गोवा।
  7. राजकीय मेडिकल कालेज तिरूवन्तपुरम्, केरल।
  8. एस0एम0एस0 मेडिकल कालेज, जयपुर।
  9. राजकीय मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सेक्टर–32 चण्डीगढ़।
  10. राजकीय मेडिकल कालेज, अगरतला, स्टेट डिसएबिलिटी बोर्ड, अगरतला।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी है उन्हें शासनादेश संख्या 157/तीन–2003–77 (11)/83, दिनांक 18.02.2003 में निहित व्यवस्था के अनुसार **डोमीसाईल** प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **डोमीसाईल** प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल/डेंटल कालेज की स्टेट कोटे की सीटों की काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होगे।
- यू0पी0 नीट यू0जी0 2019 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश एवं ब्रोशर महानिदेशालय की वेब–साईट www.updgme.in तथा एन0आई0सी की वेब–साईट **https://upneet.gov.in** पर यथाशीध्र प्रदर्शित किया जायेगा।
- अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेब–साईट का अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 957 / 71–4–2019–7 / 2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

लखनऊ दिनांक 11 जून, 2019

विषयः– यू0जी0 नीट–2019 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के डोमीसाईल / सामान्य निवास संबंधी प्रमाण–पत्र Offline निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि यू0जी0 नीट–2019 परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के समस्त मेडिकल / डेण्टल कालेजों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) में प्रवेश की कार्यवाही की जानी है। प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / संस्थानो तथा विश्वविद्यालयों मे उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही प्रवेश देने की नीति है। उक्त नीति के सफल कियान्वयन हेतु आवश्यक है कि उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को समयान्तर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार डोमीसाईल / सामान्य निवास संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत हो।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या–157 / तीन–2003–77(11) / 83 दिनांक 18.02.2003 (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न) में वर्णित प्रकिया के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों को डोमीसाईल / सामान्य निवास संबंधी प्रमाण–पत्र 'प्राथमिकता' के आधार पर Offline निर्गत किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–957 (1) / 71–4–19–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

...2

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊः दिनांक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को **"नागरिकता"** जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को **"नागरिकता"** से जोडकर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजंस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-आ0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

(1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तदनुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।

(2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए **"सक्षम अधिकारी "** होंगे।

(3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।

(4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 संलग्न है।

(6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किया जायेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जॉच हेतु संबंधित जॉच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जॉच आख्या मॉग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जॉच आपत्तियां को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवदेक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे है, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।

(10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "दि सिटीजनशिप एक्ट्-1955" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)

आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम ....

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम ....

आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चस्पा की जाये।

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

....

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक)..

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो) ....

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र)..

पूरा वर्तमान पता ....

थाना ....तहसील ....

जनपद .... (तथा पिछले तीन वर्षो से निवास करने का पता, कब से कब तक) ....

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि ....

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान ....

(ख) जन्म तिथि ....(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता ....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है (हॉ/नहीं)........................ (यदि हां तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए ....

मैं................................ घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य है व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी...
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
.... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर ....ग्राम/मोहल्ला..............................
पोस्ट.................................. जनपद.............................. उत्तर प्रदेश को मैं .... वर्षों से जानता हूं।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी... वर्षों से उक्त पते पर निवास कर रहे/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पुत्री/पत्नी .... की या उसके माता/पिता की ग्राम/मोहल्ला.................... तहसील ....
जिला...मैं अचल सम्पत्ति है।
दिनाक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 मे से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-2

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
मकान नंबर ....
मुहल्ला .... थाना ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता ....
....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।